

पत्रांक ००५ सेरी०/लेखा/आयो० बजट/2017-18

रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश

एल०डी०ए० कामर्शियल काम्पलेक्स, प्रथमतल,  
विश्वासखण्ड - 3 गोमतीनगर - लखनऊ।

दिनांक::लखनऊ::१५ जून, 2017

### आहरण वितरण अधिकारी

कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, गोण्डा, बहराइच

लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, मेरठ, सहारनपुर, औरैया,

कानपुर नगर, वाराणसी ।

रेशम विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-10/2017/172/74-2-2017-17(ब)/2017 दिनांक 18 मई, 2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान सं०-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन- 05-माडल चाकी कीटपालन हेतु शहतूत उद्यान की स्थापना योजना हेतु कुल प्रावधानित धनराशि रू० 372.00 लाख के सापेक्ष प्रथम पाँच माह हेतु (अप्रैल से अगस्त, 2017) हेतु लेखानुदान रू० 155.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचपन लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुयी है। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि रू० 155.00 लाख में से रू० 1,54,26,800.00 (रूपये एक करोड़ चौवन लाख छब्बीस हजार आठ सौ मात्र) का आवंटन संलग्नक के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है :-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व एसी स्वीकृति/सहमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
2. जिन मदों में धनराशि आवंटित की जा रही है उन्हीं मदों में धनराशि का व्यय की जाय अर्थात् किसी भी स्थिति में मद परिवर्तन न किया जाय।
3. आवंटित धनराशि का नियमानुसार, जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर अथवा प्रतिनिधायन की सीमा के अन्तर्गत व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।
4. प्रत्येक मद में आवंटित धनराशि की सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय और इसका ध्यान रखा जाय कि दायित्वों का सृजन किसी भी दशा में न होने पाये, यदि किसी प्रकार का ऋणात्मक व्यय किया जाता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
5. मजदूरी मद में आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय मात्र चाकी कीटपालन एवं फार्मों के कर्षण कार्य हेतु ही किया जाएगा। चाकी कीटपालन हेतु प्रति 100 डी०एफ०एल्स० कीटपालन के लिये 03 (तीन) मानव दिवस की दर से व्यय किया जाना अनुमन्य होगा। शेष धनराशि रेशम फार्म के कर्षण कार्य पर व्यय की जाएगी।
6. मजदूरी मद में आवंटित की जा रही धनराशि का भुगतान संबंधित मजदूरों को नियमानुसार उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से E-Payment ही किया जाए।
7. शासन द्वारा समय-समय पर मितव्ययता से संबंधित निर्गत निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
8. यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व ही (माह फरवरी 2018 के अन्तिम सप्ताह) निश्चित रूप से निदेशालय को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।

9. आवंटित धनराशि का उपयोग वास्तविकता के आधार पर किया जाए तथा किसी भी दशा में कोषागार से धनराशि आहरित कर बैंक खाते में न रखा जाए। यदि इस प्रकार का प्रकरण प्रकाश में आता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
10. निदेशालय के पत्र संख्या-4594-सी/सेरी0/तक0/कार्य योजना/2016-17 दिनांक 22.03.2017 के द्वारा निर्गत वर्ष 2017-18 की कार्य योजना में दर्शाये गये वृक्षारोपित क्षेत्रफल के अनुसार धनराशि का आवंटन किया गया है। सभी परीक्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पुनः वृक्षारोपित क्षेत्रफल का सत्यापन करते हुए वास्तविक वृक्षारोपित क्षेत्रफल के अनुसार व्यय सुनिश्चित करें। यदि वास्तविक वृक्षारोपित क्षेत्रफल कार्य योजना में उल्लिखित क्षेत्रफल से कम होता है तो बची हुई धनराशि निदेशालय को समर्पित करना सुनिश्चित करें।
11. उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016-बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017 में दिये गये शर्तों /नियमों के अनुसार किया जाए।

आवंटित धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-05-माडल चाकी कीटपालन हेतु शहतूत उद्यान की स्थापना योजना के नामे डाला जायेगा। इस आवंटन की प्रविष्टि अनुदान सं0-10 के वर्ष 2017-18 के आवंटन, पंजिका के पृष्ठ-40 पर कर ली गई है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(कृपा शंकर पाण्डेय)  
निदेशक(रेशम)

पत्रांक 04 सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 तद्दिनांकित  
प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 30प्र0, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15-थानहिल रोड, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, मेरठ, सहारनपुर, औरैया, कानपुर नगर, वाराणसी ।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 30प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. व्यय सहायक, मुख्यालय-लखनऊ।
6. वरिष्ठ आडिटर, मुख्यालय लखनऊ।
7. प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय 30प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्त को वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल कर दे।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(पी0सी0 चौधरी)  
वित्त नियंत्रक

पत्रांक 064 /सेरी0/लेखा/आयो बजट/2017-18 दिनांक: 14 जून, 2017 का अनुलग्नक  
अनुदान सं0- 10- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग -001-निर्देशन एवं प्रशासन

05-माडल चाकी कीटपालन शाहत उद्यान की स्थापना योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

(धनराशि रू0 में)

क0 सं0	आहरण एवं वितरण अधिकारी का पदनाम	जनपद	कोषागार का नाम	02-सबदूरी	29-अनुरक्षण	42-अन्य व्यव	43-सामग्री और सम्पत्ति	योग	पूर्व में योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का योग	प्रणामी योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहायक निदेशक (रेशम)	कुशीनार	कुशीनार	820000	110000	35000	385000	1350000	0	1350000
2	सहायक निदेशक (रेशम)	देवरिया	कुशीनार	270000	35000	11000	115000	431000	0	431000
		योग		1090000	145000	46000	500000	1781000	0	1781000
3	सहायक निदेशक (रेशम)	बहराइच	बहराइच	830000	115000	36000	400000	1381000	0	1381000
4	सहायक निदेशक (रेशम)	श्रावस्ती	बहराइच	486000	66500	21000	225000	798500	0	798500
		योग		1316000	181500	57000	625000	2179500	0	2179500
5	सहायक निदेशक (रेशम)	गोण्डा	गोण्डा	470000	65000	20000	230000	785000	0	785000
6	सहायक निदेशक (रेशम)	बलरामपुर	गोण्डा	365000	49000	15000	175000	604000	0	604000
7	सहायक निदेशक (रेशम)	बाराबंकी	गोण्डा	55000	7000	2200	25000	89200	0	89200
8	सहायक निदेशक (रेशम)	लखनऊ	गोण्डा	45000	6000	1800	20000	72800	0	72800
9	सहायक निदेशक (रेशम)	सुल्तानपुर	गोण्डा	26000	4500	1200	12000	43700	0	43700
		योग		961000	131500	40200	462000	1594700	0	1594700
10	उप निदेशक (रेशम)	गोरखपुर	गोरखपुर	403000	59000	17500	190000	669500	0	669500
11	उप निदेशक (रेशम)	महाराजगंज	गोरखपुर	415000	58000	18000	190000	681000	0	681000
		योग		818000	117000	35500	380000	1350500	0	1350500
12	सहायक निदेशक (रेशम)	लखीमपुर	लखीमपुर	685000	95000	29000	330000	1139000	0	1139000
13	सहायक निदेशक (रेशम)	सीतापुर	लखीमपुर	320000	45000	13500	155000	533500	0	533500
		योग		1005000	140000	42500	485000	1672500	0	1672500
14	सहायक निदेशक (रेशम)	औरिया	औरिया	250000	38000	10500	120000	418500	0	418500
15	सहायक निदेशक (रेशम)	इटावा	औरिया	142000	20000	6000	65000	233000	0	233000
16	सहायक निदेशक (रेशम)	मैनपुरी	औरिया	34000	4500	1400	15000	54900	0	54900
17	सहायक निदेशक (रेशम)	आगरा	औरिया	35000	4500	1500	15000	56000	0	56000
18	सहायक निदेशक (रेशम)	मथुरा	औरिया	46000	6500	2000	21000	75500	0	75500
19	सहायक निदेशक (रेशम)	फिरोजाबाद	औरिया	45000	6500	2000	21000	74500	0	74500
		योग		552000	80000	23400	257000	912400	0	912400
20	सहायक निदेशक (रेशम)	कानपुर नगर	कानपुर नगर	51000	7500	2200	24000	84700	0	84700

21	सहायक निदेशक (रिशम)	उन्नाव	कानपुर नगर	80000	12000	3500	36000	131500	0	131500
22	सहायक निदेशक (रिशम)	कानपुर देहात	कानपुर नगर	20000	2500	800	7000	30300	0	30300
		योग		151000	22000	6500	67000	246500	0	246500
23	सहायक निदेशक (रिशम)	मेरठ	मेरठ	147000	20000	6400	70000	243400	0	243400
24	सहायक निदेशक (रिशम)	सहारनपुर	सहारनपुर	860000	120000	38000	425000	1443000	0	1443000
25	सहायक निदेशक (रिशम)	बिजनौर	मेरठ	400000	51000	16500	185000	652500	0	652500
26	सहायक निदेशक (रिशम)	शामली	मेरठ	55000	8000	2500	25000	90500	0	90500
		योग		1462000	199000	63400	705000	2429400	0	2429400
27	सहायक निदेशक (रिशम)	पीलीभीत	पीलीभीत	515000	73000	22000	240000	850000	0	850000
28	सहायक निदेशक (रिशम)	शाहजहाँपुर	पीलीभीत	260000	37000	11200	120000	428200	0	428200
29	सहायक निदेशक (रिशम)	बरेली	पीलीभीत	190000	29000	8500	90000	317500	0	317500
30	सहायक निदेशक (रिशम)	अमरोहा	पीलीभीत	12000	2000	600	5000	19600	0	19600
31	सहायक निदेशक (रिशम)	रामपुर	पीलीभीत	44000	6000	2000	21000	73000	0	73000
32	सहायक निदेशक (रिशम)	बदायूँ	पीलीभीत	24000	4000	1000	11000	40000	0	40000
33	सहायक निदेशक (रिशम)	मुरादाबाद	पीलीभीत	5000	0	0	0	5000	0	5000
		योग		1050000	151000	45300	487000	1733300	0	1733300
34	उप निदेशक (रिशम)	वाराणसी	वाराणसी	35000	4500	1500	16000	57000	0	57000
35	उप निदेशक (रिशम)	गाजीपुर	वाराणसी	150000	18000	5500	62000	235500	0	235500
36	उप निदेशक (रिशम)	जौनपुर	वाराणसी	60000	8500	2500	28000	99000	0	99000
37	उप निदेशक (रिशम)	मिर्जापुर	वाराणसी	24000	3500	1000	10000	38500	0	38500
38	उप निदेशक (रिशम)	संतरविदास नगर	वाराणसी	35000	5000	1300	14000	55300	0	55300
39	उप निदेशक (रिशम)	आजमगढ	वाराणसी	11000	1500	500	5000	18000	0	18000
40	उप निदेशक (रिशम)	बलिया	वाराणसी	100000	0	0	0	100000	0	100000
41	उप निदेशक (रिशम)	मऊ	वाराणसी	9000	0	0	0	9000	0	9000
		योग		424000	41000	12300	135000	612300	0	612300
42	सहायक निदेशक (रिशम)	बस्ती	बस्ती	520000	69000	21000	220000	830000	0	830000
43	सहायक निदेशक (रिशम)	सिद्धार्थ नगर	बस्ती	51000	7500	2200	24000	84700	0	84700
		योग		571000	76500	23200	244000	914700	0	914700
		महायोग		9400000	1284500	395300	4347000	15426800	0	15426800

( रूपये एक करोड चौवन लाख छब्बीस हजार आठ सौ मात्र )

(सोनीचौधरी)

वित्त नियंत्रक

तेरह अंको का कोड नम्बर

2	8	5	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---